हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21/11/2022 वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर पेश किया पेश हुआ जवाब में प्रार्थी के तर्क इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत 2076-2079 चक 4FD खाता नं. 37/30 में दर्ज मु.नं. 18/15 की कुल 6.516 है॰ नहरी मय खाला भूमि शामिल खाता में प्रार्थिया की 155/1628 हिस्सा भूमि खरीदशुदा खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थिया का खरीद के रोज से चक 4FD मु.नं. 18 कि.नं. 3/.114, 8 व 13 प्रत्येक 0.253 कुल 0.620 है॰ नहरी भूमि पर कब्जा आधिपत्य है प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2019-2020 के लिए अप्रार्थीगण को भूमि हिस्सा पर काश्त पर दी थी। फसल आने पर प्रार्थिया के हिस्से की उपज / फसल देते हुए कब्जा सुपुर्द करने का कहा तो अप्रार्थीगण इन्कार करते हुए कब्जा भूमि प्रार्थिया को सुपुर्द नहीं किया अप्रार्थीगण प्रार्थिया की भूमि पर नाजायज रूप से काबिज है। प्रार्थिया अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवाने की अधिकारी है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की भूमि पर काबिज होकर अनुचित उपभोग कर रहे है। यदि भूमि पर निषेध हुक्म नहीं किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4FD मु.नं. 18 कि.नं. 3/.114, 8/.253, 13/.253 कुल 0.620 है॰ भूमि पर [illegible] प्रार्थिया को अप्रार्थीगण [illegible] मौका से हटा [illegible] निषेधाज्ञा पारित दिलाने हेतु निवेदन किया। एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि करने के लिए निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि का कब्जा अन्य को सुपुर्द करने, भूमि की उक्त स्थिति कायम रखने से पाबन्द रहें।	

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति करने अथवा प्रार्थीया को पक्ष में निर्णय तक इन्तजाम अप्रार्थीगण से दिलाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी विवादित भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थीया के नाम से दर्ज है प्रार्थीया द्वारा भूमि अप्रार्थीगण को ठेका/काश्त पर दी इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है विवादित भूमि पर प्रार्थीया द्वारा स्वयं का कब्जा न होकर अप्रार्थीगण का कब्जा होने का कथन किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है सुविधा का संतुलन किन आधारों पर प्रार्थीया के पक्ष में है प्रार्थीया सिद्ध करने में असफल रही है विवादित भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थीया के नाम से कोई दर्ज है अतः अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया को किस प्रकार कारित है यह भी प्रार्थीया सिद्ध करने में असफल रही है विवादित भूमि संयुक्त खाता में है इस लिए निश्चित भाग प्रार्थीया का मानते हुए रिसीवर की नियुक्ति अन्य सह खातेदारान को [illegible] जा सकती है सह खातेदारान [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों [illegible] अतः [illegible] प्रार्थीया अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रही है लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल में मुंतजिर रहकर मूल पत्र संलग्न हो

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:23:53 IST
Reason: SelfAttested